न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– दिनेश कुमार यादव,जिला कलक्टर,नागौर

रसद मामला संख्या– 51/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		भागीरथ कच्छावा पुत्र ज्ञानीराम कच्छावा निवासी बैजला कुआं नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी श्री रामजीवन बेनीवाल ।
2. अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री पवन श्रीमाली।

निर्णय दिनांक– 08-07-2019

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में दर्ज सीज सुदा 10 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस उपं अन्य सामग्री को समपहरण (Confiscate) करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।
2. वकुलाय की बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी श्री रामजीवन बेनीवाल ने बहस में कथन किया कि जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार घरेलू रसोई गैस के रिफिलिंग/ व्यवसायिक उपयोग की रोकथाम बाबत नागौर शहर में की गई कार्यवाही के दौरान दिनांक 10.04.2018 को मनजीतसिंह प्रवर्तन अधिकारी, रामजीवन बेनीवाल, प्रवर्तन निरीक्षक, रामावतार पूनियां, प्रवर्तन निरीक्षक एवं मुरारीलाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा बेजलां कुआं नागौर में भागीरथ कच्छावा पुत्र ज्ञानीराम कच्छावा के मकान एवं बाड़े की आकस्मिक जांच की। वक्त जांच पर भागीरथ कच्छावा पुत्र ज्ञानीराम कच्छावा निवासी बैजला कुआं नागौर उपस्थित मिले एवं बताया कि यह मकान एवं बाड़ा स्वयं का है। मकान के पीछे बाड़े में 10 घरेलू गैस सिलेण्डर, 2 व्यावसायिक सिलेण्डर, एक गाड़ियों में गैस भरने की मोटर, प्लास्टिक पाईप जो मोटर के दोनो और जुडा हुआ था, एवं प्लास्टिक पाईप के दोनो ओर दो वाल जुड़े हुए थे। भागीरथ से पूछताछ करने पर बताया कि उनके द्वारा गाड़ियों में गैस की रिफिलिंग की जाती है। भागीरथ कच्छावा ने किसी भी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये। भागीरथ कच्छावा पुत्र ज्ञानीराम कच्छावा निवासी बैजला कुआं नागौर द्वारा अवैध रुप से घरेलू रसोई गैस एवं व्यवसायिक सिलेण्डरो का भण्डारण कर वाहनों मे अवैध रुप से गैस रिफिलिंग कर व्यवसायिक दुरुपयोग करना, "लिक्वीफईड पैट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, – 2001 के क्लोज 3(1),(2) तथा लिक्वीफाईड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, – 2000 के क्लोज 3(c) 6, 7(1)(a),(b),(c) की स्पष्ट अवहेलना है जो कि, "आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इसलिए मौके पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पैरा नंम्बर 2 में अंकित 10 घरेलू सिलेण्डर एवं 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस एवं अन्य सामग्री को वास्ते सबुत जब्त सरकार किया जाकर प्रणय गहलोत मैनेजर मैसर्स गहलोत गैस एजेन्सी, नागौर की सुपुर्दगी में दिये जाने का कथन करते हुऐ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में दर्ज सीज सुदा 10 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस उपं अन्य सामग्री को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में समपहरण (Confiscate) करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।
3. वकील अप्रार्थी श्री पवन श्रीमाली ने अप्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि अप्रार्थी की उपस्थिति में न तो ऐसी कोई आकस्मिक जॉच की गई न कोई फर्द तैयार की गई न ही कथित स्थल उत्तरदाता के स्वामित्व का है न ऐसा कोई ठोस दस्तावेज व साक्ष्य

कलक्टर, नागौर

पत्रावली पर मौजूद है न हीं कथित रिफिलिंग की कार्यवाही की जा रही थी। केवल मात्र टारगेट पूरा करने के लिए मिथ्या कार्यवाही की गई एवं मनमर्जी से कार्यवाही के कागजात तैयार कर पेश किये है। मौके पर कथित कोई कार्यवाही नहीं हुई थी न कोई फोटोग्राफ प्रार्थी ने पेश किये है। अप्रार्थी कथित स्थल पर ऐसा कोई कार्य/कृत्य नहीं करता है न कभी किया बल्कि नागौर में मजदूरी करता है तथा प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जिस तरह से गाड़ियों में गैस की रिफलिंग का आक्षेप लगाया है मगर माके पर गाड़ियों में रिफिलिंग करने के संबंध में कोई गाडी जब्त नहीं हुई है, जिससे अप्रार्थी द्वारा गाड़ियों में रिफलिंग करने का कृत्य करना प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि न तो उत्तरदाता ऐसा कार्य जानता है न उन्होने ऐसा कार्य किया न कथित स्थल उसके स्वामित्व का है। अप्रार्थी के मौहल्ले वाले व आस पड़ोस के अन्य लोग व रिश्तेदार यदि अपने गैस सिलेण्डर ऐजेन्सी से लाते समय या एजेन्सी से ले जाते समय रास्ते में कुछ समय के लिए किसी के घर, के पास बाडे आदि में सुरक्षा की दृष्टि से रख देते है व शहर में अन्य काम करके वापिस जाते समय ले जाते है तो एसी सूरत में किसी के यहां रखे गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफलिंग करना नहीं माना जा सकता है। कथित 12 गैस सिलेण्डर जो जब्त करना बताये है वे उपर बताये अनुसार अलग अलग ग्राहको के हैं, जो वे प्राप्त करने के अधिकारी है। अप्रार्थी उत्तरदाता को उन से गलत ढग से जोड़ कर मिथ्या आक्षेप लगाये है। न ही वाहनों में अप्रार्थी द्वारा रिफलिंग करने की कोई ठोस दस्तावेजी स्वतंन्त्र साक्ष्य ही पत्रावली पर है, जिससे अप्रार्थी द्वारा कथित कृत्य करना नहीं माना जा सकता है। यह गलत है कि अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से सिलेण्डरों का भण्डारण कर वाहनों में रिफिलिंग की गई हो या की जाती हो। प्रवर्तन निरीक्षक ने सारे तथ्य बनावटी, व झुठे, मनमर्जी से केवल अपना टारगेट पूरा करने के लिए व अप्रार्थी के विरूद्ध परिवाद पेश करने के दुराशय से मिथ्या अंकन किया गया है। अप्रार्थी ने "लिक्वीफईड पैट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, – 2001 के क्लोज 3(1),(2) तथा लिक्वीफाईड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, – 2000 के क्लोज 3(c)4 1(a) 6, 7(1),(a),(b),(c) की अवहेलना नहीं की है। कथित बरामदगी व जब्ती की मिथ्या कार्यवाही करके उतरदाता के विरूद्ध मामला सरासर झूठा बनाया गया है। उतरदाता के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कोई मामला नहीं बनता है न ही उक्त अधिनियम के तहत तथाकथित गैस सिलेण्डर मय गैस व अन्य सामग्री समपहरण (Confiscate) किये जाने योग्य है, का कथन करते हुऐ वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत, सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया है।

4. उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी के अनुसार अप्रार्थी भागीरथ कच्छावा पुत्र ज्ञानीराम कच्छावा के मकान एवं बाड़े की आकस्मिक जांच की। वक्त जांच पर भागीरथ कच्छावा पुत्र ज्ञानीराम कच्छावा निवासी बैजला कुआं नागौर उपस्थित मिले एवं बताया कि यह मकान एवं बाड़ा स्वय का है। मकान के पीछे बाड़े में 10 घरेलू गैस सिलेण्डर, 2 व्यावसायिक सिलेण्डर, एक गाड़ियो में गैस भरने की मोटर, प्लास्टिक पाईप जो मोटर के दोनो और जुड़ा हुआ था, एवं प्लास्टिक पाईप के दोनो ओर दो वाल जुड़े हुए थे। भागीरथ से पूछताछ करने पर बताया कि उनके द्वारा गाड़ियों में गैस की रिफिलिंग की जाना बताया। वकील अप्रार्थी के कथनानुसार उक्त कथित स्थल उतरदाता का नहीं है। इसके अलावा प्रार्थी ने ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थी उक्त कथित जब्ती स्थल का मालिक हो। इसके अलावा उक्त स्थल पर अवैध रूप से गाड़ियों में गैस भरने के संबंध में अप्रार्थी के उक्त जॉच दल के समक्ष किये गये कथन के अतिरिक्त उक्त कथन को साबित करने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। अप्रार्थी द्वारा उक्त कथित जब्ती स्थल पर अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों का भण्डारण कर अवैध रूप से किसी गाडी में गैस सिलेण्डरों से गैस रिफलिंग कर रहा हो ऐसी भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। इसके अलावा वकील अप्रार्थी के कथनानुसार कथित 12 गैस सिलेण्डर जो जब्त करना बताये है वे अलग अलग ग्राहको के हैं। इससे भी स्पष्ट है कि उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के नहीं है, जिनसे अप्रार्थी का कोई लेना–देना नहीं है। इसलिए प्रकरण

में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में दर्ज सीज सुदा 10 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस एवं अन्य सामग्री को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में समपहरण (Confiscate) करने का आदेश दिया जाना उचित है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में दर्ज सीज सुदा 10 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस एवं अन्य सामग्री को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में समपहरण (Confiscate) करने का आदेश दिया जाता है। उक्त जब्तशुदा 10 घरेलू सिलेण्डरों एवं 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस के सम्बधित कम्पनी के माध्यम से नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने तथा अन्य सामग्री का भी नियमानुसार निस्तारण करने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। उक्तानुसार प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

6. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

Page 3 of 3